

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती, बलिया, मऊ एवं देवरिया ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21 फरवरी, 2024

विषय- बाढ़ संवेदनशील ग्रामों में बाढ़ शरणालय निर्मित कराने की योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती, बलिया, मऊ एवं देवरिया में 150 व्यक्ति की क्षमता का बाढ़ शरणालय के निर्माण कराये जाने की योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-5200/रा0आ0का0/ 2023-24 दिनांक 19-02-2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ संवेदनशील ग्रामों में बाढ़ शरणालय निर्मित कराने की योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती, बलिया, मऊ एवं देवरिया में 150 व्यक्ति की क्षमता का बाढ़ शरणालय के निर्माण कराये जाने हेतु अप्रेजल कमेटी की दिनांक 15.12.2023 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 08.02.2024 को सम्पन्न बैठक में दी गयी स्वीकृति के क्रम में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा 150 व्यक्ति क्षमता का बाढ़ शरणालय की योजना की अनुमानित लागत ₹0 378.54 लाख के सापेक्ष समिति द्वारा उक्त जनपदों में प्रति बाढ़ शरणालय की योजना की लागत ₹0 395.41 लाख आगणित की गयी है, जो प्रायोजना प्रस्ताव में डी0जी0 सेट के स्थान पर सोलर पावर वोल्टेज 30 के0डब्लू0पी0 एवं चारों जनपदों हेतु एक एवरेज कास्ट इन्डेक्स 109 अनुमन्य किये जाने के कारण प्रस्तावित लागत के सापेक्ष आगणित लागत में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

2- उक्त के क्रम में निम्न 04 जनपदों में 150 क्षमता का बाढ़ शरणालय का निर्माण कराये जाने हेतु प्रायोजना रचना मूल्यांकन समिति द्वारा आगणित लागत ₹0 395.41 लाख प्रति बाढ़ शरणालय की लागत से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जनपदों के प्रति जिलाधिकारियों के निवर्तन पर, प्रति बाढ़ शरणालय ₹0 395.41 लाख की धनराशि सहित कुल ₹0 1581.64 लाख की धनराशि, रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्षमता	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत (लाख में)
1	बस्ती,	150	395.41
2	बलिया,	150	395.41
3	मऊ	150	395.41
3	देवरिया	150	395.41
योग			1581.64

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

- (1) उक्त प्रायोजना का आगणन अधिशासी अभियंता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है, जो अधीक्षण अभियंता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग, राहत आयुक्त द्वारा संस्तुत एवं प्रायोजना प्रस्ताव राजस्व विभाग द्वारा अनुमोदित है।

- (2) कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त आगणन का अप्रेजल कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर इस शर्त के साथ किया गया है कि भविष्य में उनका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (3) कार्यों की तात्कालिकता के दृष्टिगत 04 शरणालयों के निर्माण हेतु एक मानक आगणन जो कि कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित है, का अप्रेजल, समिति द्वारा बजट आवंटन के दृष्टिगत कर दिया गया है। कार्यदायी संस्था उक्त प्रस्तावों का वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ई-8-305/10-2006, दिनांक 02.03.2006 एवं शासनादेश सं0 ई-8-1226/10-2013-89/2004, दिनांक 10 सितम्बर 2013 के आलोक में मानकीकरण करा लिया जायेगा।
- (4) प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत डी0जी0 सेट के स्थान पर सोलर पावर वोल्टेक 30 के0डब्लू0पी0 एवं चारों जनपद हेतु एक एवरेज कास्ट इन्डेक्स 109 अनुमन्य किये जाने के कारण कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित लागत के सापेक्ष आंकलित लागत में वृद्धि परिलक्षित हो रही है।
- (5) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्यों की लागत पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 आंकलित की गयी है, जो वास्तविकता के आधार पर देय होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमर्दों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो। उक्त मर्दों में धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
- (6) प्रायोजना का विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) में दरें 30प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय जाप सं0-272 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 10.10.2023 एवं कार्यालय जाप सं0 294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 26.10.2023 के द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुर्सी क्षेत्रफल दरों में फैक्टर/कास्ट इन्डेक्स का समावेश किये जाने एवं कतिपय कार्यमर्दों वर्तमान बाजार भाव की दरों के विश्लेषण के अनुसार ली गयी हैं। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
- (7) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (8) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (10) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (11) समिति द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

- (13) परियोजना अन्तर्गत बॉट आइटम का क्रय मानक के अनुसार किया जायेगा। यथा आवश्यकतानुसार ई टेण्डर/जेम पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी।
- (14) उक्त बनने वाले बाढ़ शरणालय के लिए राहत आयुक्त पंचायती राज विभाग से समन्वय करते हुए उक्त निर्मित होने वाले फ्लड सेन्टर का बाढ़ के दिनों के अतिरिक्त अन्य कार्य जैसे दुकान, कम्यूनिटीज स्कूल, बाजार, शादी-ब्याह हेतु लोकल स्थानीय लोगों के उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, ताकि उक्त फ्लड सेन्टर का पूरे वर्ष भर उपयोग हो सके और उसमें कोई अवैध गतिविधियां न संचालित हो पाए। इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग के माध्यम से रख-रखाव एवं उसके उपयोग का पूरा विवरण रखते हुए कार्यवाही करायेंगे। इस हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (15) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (16) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- (17) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (18) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (19) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (20) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (21) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये ₹0 ₹0 1581.64 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ इक्यासी लाख चौसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

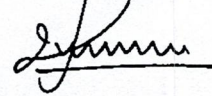
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या:-376 (1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, 30प्र0।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0, शासन।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।।
- 4- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं विभागध्यक्ष, 30प्र0 लखनऊ
- 6- मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग 30प्र0 लखनऊ।
- 7- निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 8- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0
- 10- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित जनपद के मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता (भवन सेल) लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 (द्वारा मुख्य अभियन्ता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग 30प्र0 लखनऊ)।
- 12- सम्बन्धित आर्किटेक्ट (द्वारा मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग 30प्र0 लखनऊ)।
- 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से।



(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-29/02/2024

प्रेषण संख्या:- 376
आवंटन आदेश संख्या:- 001-376
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	39541000 39541000	39541000 39541000
2	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	39541000 39541000	39541000 39541000
3	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	39541000 39541000	39541000 39541000
4	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	39541000 39541000	39541000 39541000
	योग	वर्तमान प्रगामी	158164000 158164000	158164000 158164000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ इक्यासी लाख चौसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ इक्यासी लाख चौसठ हजार

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन